

GLOBAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND RESEARCHES

सागर जिला में 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' अपराधों की घटना में समय का प्रभाव : एक विश्लेषण

Dr. Vivek Mehta

Depat. of Criminology & Forensic Science, Dr. Harisingh Gour Central University, Sagar (M.P.), India

शोध सारांश

समय होत बलवान' जैसी कहावतें स्वयं चरितार्थ होती हैं। जिसका मनुष्य से गहरा संबंध है। मनुष्य जीवन व्यावहारिक विविधताओं से ओतप्रोत है और उसके व्यवहार के मानदण्ड सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ सामाजिक मूल्य, समाज के आदर्श, प्रतिमान, कानून, रीति-रिवाज, परम्परा, आचार संहिताओं आदि से प्रेरित हैं। शिक्षा, धर्म, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय और हमारा समाज विभिन्न परिस्थितियों में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हरेक व्यक्ति को समाज के अनुरूप एवं योग्य ढालने का सतत एवं भरसक प्रयास करते हैं। अपराध के कारणात्मक अनेकानेक कारक एक व्यक्ति को असामान्य, विचलित या अपराधी व्यवहार में संलिप्त होने को अभिप्रेरित करते हैं जिसे व्यक्ति अपने समाज में ही सीखता है। सदरलैण्ड ने भी कहा है, "अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है।" हत्या तथा हत्या का प्रयास ऐसे गम्भीरतम अपराध हैं जो मनुष्य को मनुष्यता के परे धकेलने एवं समूचे समाज को विघटित होने की दिशा एवं दशा को इंगित करते हैं। यह सब समय का ही फेर है कि मनुष्य न चाह कर भी आपराधिक दिशाओं की ओर अग्रसर एवं दशाओं में संलग्न हो जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र में अपराध और समय के सहसंबंधों को केन्द्रित किया गया है।

कुंजी शब्द : हत्या, हत्या का प्रयास, समय, अपराध, पुलिस।

I. प्रस्तावना

प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक समग्र दृष्टिपात किया जाये तो मानवीय व्यवहार का सतत परिवर्तित स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री 'अरस्तु' ने कहा है, 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।' समाज के पूर्ण मनोयोग से व्यक्तियों के समाजीकरण की प्रक्रिया के उपरांत भी कुछ व्यक्ति असामाजिक कार्यों के प्रति उद्देलित होते हैं। उनका प्राणी होने के कारण उन्हें आक्रोश, संवेगात्मक अस्थिरता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आदि व्याधियाँ सामाजिक होने में बाधा उत्पन्न करती हैं और असामाजिक, विचलित, असमान्य या अपराधी व्यवहार करने हेतु उत्प्रेरित करता है। समय होत बलवान, जैसी कहावतें स्वयं चरितार्थ होती हैं। जिसका मनुष्य से गहरा संबंध है। मनुष्य जीवन व्यावहारिक विविधताओं से ओतप्रोत है उसके व्यवहार के मानदण्ड सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ सामाजिक मूल्यों, समाज के आदर्शों, प्रतिमानों, कानूनों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, आचार संहिताओं आदि से प्रेरित हैं। शिक्षा, धर्म, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय और हमारा समाज विभिन्न परिस्थितियों में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हरेक व्यक्ति को समाज के अनुरूप एवं योग्य ढालने का सतत एवं भरसक प्रयास करते हैं। अपराध के अनेकानेक कारणात्मक कारक एक व्यक्ति को असामान्य, विचलित, असामाजिक या अपराधी व्यवहार में संलिप्त होने को उत्प्रेरित करते हैं जिसे व्यक्ति अपने समाज में ही सीखता है। सदरलैण्ड ने भी कहा है, "अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है।" हत्या तथा 'हत्या का प्रयास' ऐसे गम्भीरतम अपराध हैं जो मनुष्य को मनुष्यता से परे धकेलने एवं समूचे समाज को विघटित होने की दिशा एवं दशा को इंगित करते हैं। यह सब समय का ही फेर है कि मनुष्य न चाहकर भी आपराधिक दिशाओं की ओर अग्रसर एवं दशाओं में संलग्न हो जाता है। निःसंदेह कोई नहीं जानता कि 'हत्या' या 'हत्या का प्रयास' कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसका किया अपितु तथ्य इस दिशा में अवश्य ही समझने के लिये अवगत करवाते हैं जिनका गहरा संबंध समय से है। 'हत्या एवं 'हत्या का प्रयास' अपराध किस समय हुआ यह अध्ययन विषय का केंद्र बिंदु है।

II. साहित्य सर्वेक्षण

'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' को समझने के लिए सम्बद्ध साहित्य के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण आवश्यक है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16 में मानव शरीर से संबंधित विभिन्न अपराधों के संदर्भ में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत परिभाषाएँ, दृष्टांत एवं दण्ड विधानों की व्याख्या की गयी है। भा. दं. संहिता 1860 की धारा 299 में गैर इरादतन हत्या, धारा 300 में 'हत्या', धारा 302 में हत्या के लिए सजा, धारा 307 में 'हत्या का प्रयास' आदि का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है।

धारा 300. 'हत्या'

एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा — यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गयी है, अथवा

तीसरा — यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

71	INFLUENCE OF WRITING INSTRUMENT ON THE HANDWRITING OF STUDENTS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTE.	381-387	
	Toshi Pandey* 1, Nandini Katare 2 & Dr. Kavita Sharma 3		
72	A CASE STUDY TO ANALYSE THE ROLE OF MEDIA AS PRESSURE GROUP IN SOLVING CRIMINAL CASES	388-390	
	Dr. Kavita Sharma* 1, Nandini Bansod2 & Nandini Katare3		
73	EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES PRESENT IN COMMON INDIAN SPICES	391-396	
	Shubhangi Kulshrestha		
74	SCIENTIFIC APPROACH FOR PLAYING SPORTING GAMES IN MODERN ERA: ACHIEVING TRUE SPORT	397-400	
	Vijay Francis Peter* & Umang Agrawal		
75	सागर जिला में 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' अपराधोंकी घटनामें समय का प्रभाव एक विश्लेषण	401-406	
	काम टपजमा डमीज		
76	महेश्वर हथकरघा उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित जनकल्याण योजनाओं का अध्ययन	407-409	
	प्रतिष्ठा दारीकी* डॉ. मजु रामा		
77	SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL SCREENING OF NOVEL MANNICH BASES OF 2,4, DIAMINO-6-PIPERIDINO PYRIMIDINE-3-OXIDE (MINOXIDILL)	410-415	
	Purvi Bilgaiyan		
78	STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF NiFe2O4 VIA GREEN SYNTHESIS	416-420	
	S. Patel, P. Saxena & Dinesh Varshney*		
79	E-WASTE MANAGEMENT: ISSUES AND PROSPECTS IN INDIA	421-424	
	Vijay Dawar*1 & Krishna Bhuriya2		
80	GREEN ECONOMY: A STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	425-429	
	Richa Darshan & Prashant Sarothiya		
81	WATER QUALITY INDEX FOR ASSESSMENT OF RAW WATER AT DIFFERENT CITIES IN M.P., INDIA	430-435	
	Asha Gaikwad*1, Niharika Shrivhare2 & Dhiraaj Shinde3		
	BIOCHEMICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF MALNUTRITION IN WOMEN OF RURAL		